न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 02 / 2025 तारीख रजू :– 07.01.2025

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

1. रामदास पुत्र किशन्या आयु 61 साल, जाति जोगी निवासी भैसा पट्टी भैसा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)
2. नानगी पत्नि रामदास आयु 61 साल, जाति जोगी निवासी भैसा पट्टी भैसा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

प्रार्थीगण / वादीगण

वनाम

सरकार जरिये तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थित :– 1 श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 29/08/25

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खाता संख्या नया 68 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 804 रकवा 0.26 है0, 805 रकवा 0.26 है0 स्थित ग्राम भैसापट्टीकलां तहसील टोडाभीम में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर में वादी नम्बर 1 बहिस्सा 1 / 16 व वादी नं0 2 बहिस्सा 1 / 4 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा बकिया हिस्से के सहखातेदारान खातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 269 में दर्ज खसरा नम्बर 879 रकवा 0.23 है0, 880 रकवा 0.20 है0, 881 रकवा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.75 है में वादी नं0 1 का बहिस्सा [illegible] का खातेदार काश्तकार है शेष हिस्सा की अन्य सहखातेदारान खातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 343 में दर्ज खसरा नम्बर 803 रकवा 1.21 है0 में वादी [illegible] 1/8 का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से की खातेदारी अन्य सहखातेदारान के नाम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थी/वादी नं0 1 के नाम रामदास के स्थान पर गुट्टी पुत्र किशनन्या व गुट्टी पुत्र विशन्या दर्ज कर दिया है तथा वादीया नं0 2 के नाम नानगी पत्नि रामदास के स्थान पर नानगी पत्नि गुट्टी दर्ज कर दिया है, जबकि वादी नं0 1 का सही नाम रामदास पुत्र किशन्या व वादीया नं0 2 का सही नाम नानगी पत्नि रामदास है, जिसे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीगण/वादीगण के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व जॉबकार्ड सभी में रामदास पुत्र किशन्या व नानगी पत्नि रामदास अंकित है।

प्रार्थीगण/वादीगण ने दिनांक 23.12.2024 को केसीसी बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल ली तब वादीगण को पता चला कि राजस्वकर्मियों ने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के गांव में बोलता नाम गुट्टी दर्ज कर दिया तथा नानगी पत्नि गुट्टी दर्ज कर दिया है, जबकि उनका सही नाम रामदास पुत्र किशन्या व नानगी पत्नि रामदास है। उक्त नाम की दुरूस्ती हेतु प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब को रजिस्ट्री की नकल व एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/वादीया के नाम नामान्तकरण खुलवाने हेतु पेश किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब टोडाभीम को पेश किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब टोडाीमने कहा कि न्यायालय में दावा पेश करो, इसलिये दावा हाजा श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खाता संख्या नया 68 में गुट्टी पुत्र किशन्या व नानगी पत्नि गुट्टी का नाम हजफ कर रामदास पुत्र किशन्या व नानगी पत्नि रामदास जोति जोगी सा देह ग्राम खातेदार दर्ज किया जावे तथा खाता संख्या 269 में गुट्टी पत्रु विशन्या का नाम हजफ कर रामदास पुत्र किशन्याया हिस्सा 1/4 जाति जोगी सा0 ग्राम खातेदार अंकित किया जावे तथा खाता संख्या 343 में गुट्टी पुत्र किशन्या का नाम हजफ कर रामदास पुत्र किशन्या बहिस्सा 1/8 जाति जोगी सा0 ग्राम खातेदार अंकित किया जावे तथा खाता संख्या 68, 269, 343 में दर्ज [illegible] वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी[illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम भैसापट्टी कलां की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 68 पर ख0नं0 804 रकवा 0.26 है0, 805 रकवा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.52 है0 में वादी का नाम गुट्टी पुत्र किशन्या हिस्सा 1/16 एवं नानगी पत्नि गुट्टी हिस्सा 1/4 नाम दर्ज रिकार्ड है एवं खाता संख्या 343 खसरा नम्बर 803 रकवा 1.21 है0 में गट्टी पुत्र किशन्या हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 269 के खसरा नम्बर 879 रकवा 0.23 है0, 880 रकवा 0.20 है0, 881 रकवा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 0.75 है0 में गुट्टी पुत्र किशन्या हिस्सा 1/4 रिकार्ड दर्ज है। ग्राम भैसापट्टी कला की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खसरा नम्बर 804/0.26, 805/0.06 साबिक खसरा नम्बर 422 मिन से बने है। खसरा नम्बर 803 साबिक खसरा नम्बर 424 से बना है एवं खसरा नम्बर 879, 880, 881 साबिक खसरा नम्बर 419 मिन से बने है। साबिक रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2030–33 में दर्ज नामान्तकरण संख्या 126 विरासत नामान्तकरण के जरिये गुट्टी पुत्र किशन्या दर्ज हुआ एव हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073–73 के खाता संख्या 328 पर नामान्तकरण 488 दिनांक 19.05.2015 विक्रय पत्र के द्वारानानगी पत्नि गुट्टी का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है। जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 बनाते वक्त खसरा नम्बर 803 रकवा 1.21 हैद्ध भूमि में गुट्टी का नाम दर्ज नहीं किया गया था। जिसे प्रशासन गांवों के संग अभियान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम कैम्प शहराकर में जारी आदेश कमांक 1531 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 14.07.2015 के द्वारा जोडा गया था।

वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरों के अतिरिक्त भी खसरा नम्बर 565, 566 पर भी वादी का नाम गुट्टी पुत्र किशन्या दर्ज है। जो वादी द्वारा वापत्र में सम्मिलित नहीं किया और वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम कैम्प शहराकर में जारी आदेश कमांक 1531 दिनांक 17.06.2015 के द्वारा भी सही माना है तथा नानगी पत्नि गुट्टी का नाम नामान्तकरण संख्या 488 दिनांक 19.05.2015 विक्रय पत्र के द्वारा रिकार्ड दर्ज हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मैने वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का नाम रामदास पुत्र किशन्या एवं नानगी पत्नि रामदास है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड गुट्टी पुत्र किशन्या एवं नानगी पत्नि गुट्टी हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजो मे वादीगण नाम रामदास पुत्र किशन्या एवं नानगी पत्नि रामदास है मैने दस्तावेजो मे राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जोबकार्ड आदि के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादी नं0 1 का नाम गुट्टी है जो विरासत के नामान्तकरण के द्वारा आयी है तथा वादीया का नानगी पत्नि गुट्टी है जो विक्रय पत्र के नामान्तकरण से दर्ज रिकार्ड है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी ग्राम भैसापट्टीकला के खसरा नम्बर 804, 805, 803, 879, 880, 881 में वादीगण का नाम गुट्टी पुत्र किशन्या एवं नानगी पत्नि गुट्टी दर्ज है। गुट्टी पुत्र किशन्या का नाम विरासत का नामान्तकरण से हुआ है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः ग्राम भैसापट्टीकलां खसरा नम्बर 804, 805, 803, 879, 880, 881 में वादीगण का नाम गुट्टी पुत्र किशन्या एवं नानगी पत्नि गुट्टी को हजफ कर रामदास पुत्र किशन्या एवं नानगी पत्नि रामदास अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादीगण जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय दिनांक 29/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली